

प्रारंभिक परीक्षा

मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ अभियान

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) और सीवर तथा सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अक्टूबर, 2023 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को इन प्रथाओं को खत्म करने के निर्देश जारी किए गए थे।


मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में -


- **मैनुअल स्कैवेंजिंग का रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993** में 'मैनुअल स्कैवेंजर' को "मानव मल को हाथ से ढोने के काम में लगे या नियोजित व्यक्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग स्वच्छ जल और स्वच्छता (लक्ष्य 6), सभ्य कार्य और आर्थिक विकास (लक्ष्य 8), असमानताओं में कमी (लक्ष्य 10) और शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों (लक्ष्य 10) से संबंधित एसडीजी को कमजोर करती है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदम:

- **मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013**: इस अधिनियम ने 1993 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया और अस्वास्थ्यकर शौचालयों, खुली नालियों या गड्ढों की सभी प्रकार की मैनुअल मल सफाई पर प्रतिबंध लगाता है। यह मैनुअल स्कैवेंजिंग के पुनर्वास पर भी ध्यान केंद्रित करता है और उनके कल्याण के लिए उपाय प्रदान करता है।
- **सफाईमित्र सुरक्षा चैलेंज**: 2020 में विश्व शौचालय दिवस पर **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय** द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य अपरिहार्य आपात स्थिति के मामले में श्रमिकों को उचित गियर और ऑक्सीजन टैंक प्रदान करके सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत बनाना है।
- **नेशनल एक्शन प्लान मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) योजना का उद्देश्य भारत में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान में सुधार करना है। इसे 2023-24 में लॉन्च किया गया था और इसे देश भर में 4,800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में लागू किया जा रहा है।**

MANUAL SCAVENGING VIOLATES

 International Conventions	 Constitutional Provisions	 Legal Provisions
<p>Universal Declaration of Human Rights (UDHR): Mandate dignity, equality fair remuneration and social security.</p> <p>International Convention for Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR): Envisages equality and decent living standard for women.</p> <p>Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW): Eliminate violence and discrimination against women.</p>	<p>Article 15: State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them</p> <p>Article 17: "Untouchability" is abolished & its practice in any form is forbidden.</p> <p>Article 21: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.</p>	<p><i>Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2015 of (MS Act, 2013)</i></p> <p><i>Scheduled Caste and Schedules Tribes Amendment Act 2015 (SC/ST Act)</i></p>



#UPSC #CSE

बलराम सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश(2023)

- **मैनुअल सीवर सफाई का पूर्ण उन्मूलन:** केंद्र सरकार:
 - मैनुअल सीवर सफाई के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए नीतियां तैयार करें और सभी वैधानिक निकायों (निगम, रेलवे, छावनी, आदि) को निर्देश जारी करें।
 - सुनिश्चित करें कि आउटसोर्स किए गए सीवर कार्य में किसी भी उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को सीवर में प्रवेश करने की आवश्यकता न हो।
- **राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:** अपने अधिकार क्षेत्र में सभी नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों और एजेंसियों में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों को अपनाएं और लागू करें।
- **प्रभावित श्रमिकों का पुनर्वास:** सीवर श्रमिकों और मृत श्रमिकों के परिवारों के लिए पूर्ण पुनर्वास उपाय।
- **सीवर में होने वाली मौतों के लिए बढ़ा हुआ मुआवज़ा:** खतरनाक सफाई के कारण होने वाली मौतों के लिए मुआवज़ा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया।
- **एक केंद्रीकृत पोर्टल और डैशबोर्ड का विकास:**
 - सीवर में होने वाली मौतों और प्रभावित श्रमिकों के बारे में डेटा बनाए रखें।
 - मुआवज़ा वितरण और पुनर्वास उपायों पर नज़र रखें।
 - मौजूदा नीतियों और पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करें।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)

- इसका गठन अगस्त 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत 3 वर्ष की अवधि के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था।
- 2004 में 1993 के अधिनियम की समाप्ति के साथ, आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, इसका कार्यकाल समय-समय पर सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से बढ़ाया जाता है।
- इसका उद्देश्य भारत में सफाई कर्मचारियों या मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला ढोने वाले) की स्थिति में सुधार करना है।
- NCSK सफाई कर्मचारियों की स्थिति, अवसर और सुविधाओं में असमानताओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार को कार्यक्रमों की सिफारिश करता है।

स्रोत:

- [द हिंदू - मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए 'किसी भी हद तक' जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट](#)



गुरुवायुर मंदिर

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवायुर एकादशी के दिन केरल के श्री कृष्ण मंदिर में सदियों पुराने अनुष्ठान "उदयस्थामन पूजा" नहीं करने के गुरुवायुर देवस्वोम प्रशासन के फैसले की कड़ी आलोचना की है।


गुरुवायुर मंदिर के बारे में -

- यह केरल के त्रिशूर जिले के गुरुवायुर में स्थित है और यह भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें गुरुवायुरप्पन के रूप में पूजा जाता है। इसे "दक्षिण का द्वारका" भी कहा जाता है।
- 1931-32 में, केलप्पन (जिन्हें केरल के गांधी के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने की वकालत करने के लिए सत्याग्रह शुरू किया गया था।
- 8वीं शताब्दी के भारतीय दार्शनिक आदि शंकराचार्य को मंदिर की व्यवस्था और अनुष्ठानों का श्रेय दिया जाता है।
- विशेषताएँ:
 - मंदिर पारंपरिक केरल स्थापत्य शैली में बनाया गया है।
 - मंदिर परिसर में नालम्बलम (गर्भगृह के चारों ओर मंदिर संरचना), बालिवकल (बलि का पत्थर) और दीपस्तंभम (प्रकाश स्तंभ) जैसी संरचनाएँ स्थित हैं।
 - ध्वजस्तंभ: यह लगभग 70 फीट ऊंचा ध्वजदण्ड है, जो पूरी तरह सोने से ढका हुआ है।
 - यह मंदिर बंदी एशियाई नर हाथियों की एक बड़ी आबादी का घर होने के कारण भी प्रसिद्ध है।
- उदयस्थामन पूजा: यह दिन भर देवता को निरंतर प्रार्थना और प्रसाद अर्पित करने के लिए किया जाने वाला एक विस्तृत अनुष्ठान है।
 - पूजा में अभिषेकम (मूर्ति को स्नान कराना), नैवेद्यम (भोजन अर्पित करना) और आरती (प्रकाश अर्पित करना) के कई चरण शामिल होते हैं।
 - यह अनुष्ठान विशेष रूप से वृश्चिक एकादशी पर महत्वपूर्ण है, जो हिंदू कैलेंडर में सबसे पवित्र दिनों में से एक है और भगवान विष्णु को समर्पित है।
 - ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से देवता की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और भक्तों को समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है।



स्रोत:

- [द हिंदू - सुप्रीम कोर्ट ने 'उदयस्थामन' पूजा याचिका पर गुरुवायूर पैनल से जवाब मांगा](#)




हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी

संदर्भ

भारतीय वैज्ञानिकों ने गंभीर हीमोफीलिया A के उपचार के लिए, जीन थेरेपी का उपयोग करके एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है।

हीमोफीलिया के संदर्भ में -

- यह एक दुर्लभ आनुवंशिक रक्त विकार है, जो रक्त को ठीक से जमने से रोकता है। यह सामान्य तौर पर वंशानुगत होता है और पुरुषों में अधिक सामान्य है।
- इसके सबसे सामान्य प्रकार हैं- हीमोफीलिया A (क्लासिक हीमोफीलिया) और हीमोफीलिया B (क्रिसमस रोग)
- **हीमोफीलिया A:** यह तब होता है, जब शरीर पर्याप्त मात्रा में फैक्टर VIII का उत्पादन नहीं करता, जो कि एक प्रोटीन है, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है।
- भारत में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा रोगी समूह है, जिसमें अनुमानित 40,000 से 100,000 रोगी शामिल हैं।
- इसके उपचार की लागत बहुत अधिक है: 10 वर्षों में प्रति मरीज ₹2.54 करोड़।




जीन थेरेपी -

- यह एक चिकित्सा तकनीक है, जो किसी व्यक्ति के जीन में परिवर्तन करके बीमारी का उपचार या रोकथाम करती है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
 - रोग उत्पन्न करने वाले जीन को, स्वस्थ प्रति से प्रतिस्थापित करना।
 - रोग उत्पन्न करने वाले जीन को निष्क्रिय करना।
 - शरीर में एक नया या संशोधित जीन प्रविष्ट करना।
 - कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करना।
- जीन थेरेपी का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं: कैंसर, आनुवंशिक बीमारियाँ जैसे हीमोफीलिया और सिकल सेल रोग आदि।
- **हीमोफीलिया के लिए एकमुश्त समाधान के रूप में जीन थेरेपी**
 - **तंत्र:** शरीर में एक जीन प्रविष्ट कराया जाता है, जो इसे रक्तस्राव को रोकने के लिए पर्याप्त फैक्टर VIII को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।
 - यह स्टेम कोशिकाओं में क्लॉटिंग फैक्टर जीन को एकीकृत करने के लिए एक वेक्टर के रूप में लेंटिवायरस का उपयोग करता है, जिसे बाद में रोगी के शरीर में पुनः प्रविष्ट कराया जाता है।
 - **लाभ:**

- इससे बार-बार थक्के बनाने वाले कारक या अन्य दवाइयों के इंजेक्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- बच्चों के लिए संभावित रूप से सुरक्षित और इम्यूनोस्प्रेसिव थेरेपी की आवश्यकता से बचा जाता है।

स्रोत:

- [द हिंदू - भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया के लिए एकमुश्त समाधान प्रदान करने वाली नवीन जीन थेरेपी विकसित की](#)



भारत में मलेरिया के मामलों और मृत्यु में 69% की कमी

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 2024 की 'विश्व मलेरिया रिपोर्ट' जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर को कम करने में "महत्वपूर्ण प्रगति" की है।

मलेरिया के संदर्भ में -

- मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है, जो परजीवी के कारण होती है। यह रोकथाम योग्य और उपचार योग्य है।
- यह एक जानलेवा बीमारी है, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है।
- परजीवियों की 5 प्रजातियां मनुष्यों में मलेरिया का कारण बन सकती हैं और इनमें से 2 प्रजातियां- प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लास्मोडियम विवैक्स सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करती हैं।
- यह भारत में एक सूचित रोग(notifiable disease) है।
- **प्रसार:**
 - मलेरिया अधिकांशतः कुछ संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है।
 - मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है।
 - रक्त आधान और दूषित सुइयों से भी मलेरिया फैल सकता है।

WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएं

- **भारत की उपलब्धियाँ:**
 - मामलों की संख्या और मृत्यु में कमी:
 - मलेरिया के मामलों में 69% की कमी आई है, जो 2017 में 6.4 मिलियन से घटकर 2023 में 2 मिलियन हो गई।
 - इसी अवधि के दौरान मलेरिया से होने वाली मृत्युओं में 69% की कमी आई, जो 11,100 से घटकर 3,500 हो गई।
 - **HBHI समूह से बाहर निकलना:** भारत अब स्थानिक देशों के उच्च-जोखिम-उच्च-प्रभाव (HBHI) समूह का हिस्सा नहीं है।
- **भारत की सफलता के पीछे प्रमुख रणनीतियाँ:**
 - **आर्टेमिसिनिन-आधारित संयोजन चिकित्सा(ACT):** यह मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली, दो या दो से अधिक दवाओं का एक संयोजन है। आर्टेमिसिनिन अधिकांश मलेरिया परजीवियों को मार देता है, जबकि एक सहयोगी दवा शेष परजीवियों को समाप्त कर देती है।
 - **लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक जालियां(LLIN):** LLIN, मच्छरदानी हैं, जिनके रेशों में कीटनाशक होता है, जिससे वे सालों तक प्रभावी बनी रहती हैं और उन्हें हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जाल मच्छरों को रोकते हैं और उन्हें मारते हैं, व्यापक रूप से उपयोग किए जाने पर मच्छरों की संख्या और उनके जीवनकाल को कम करते हैं।
 - **लक्षित हस्तक्षेप:** झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर-पूर्व में वन और जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रित प्रयासों से निदान, उपचार और दवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ।
 - **प्रभावी निगरानी और मामला प्रबंधन:** निरंतर मूल्यांकन से हस्तक्षेपों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त हुई है।

स्रोत:

- [द हिंदू - भारत में मलेरिया के मामले और मृत्यु दर में 69% की कमी](#)

घोस्ट गन(Ghost Guns)

संदर्भ

हाल के दिनों में अमेरिका में घोस्ट गन का उपयोग बढ़ गया है। यूनाइटेड हेल्थकेयर के CEO की हत्या के संदिग्ध व्यक्ति को जब पकड़ा गया, तो उसके पास एक "घोस्ट गन" थी।

घोस्ट गन के संदर्भ में

- घोस्ट गन, जिसे व्यक्तिगत तौर पर निर्मित आग्नेयास्त्र (PMF) के रूप में भी जाना जाता है, किट या 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए गए गैर-ट्रेस करने योग्य आग्नेयास्त्र हैं।
- विशेषताएँ:
 - क्रम संख्या की कमी, जिससे वे कानून प्रवर्तन द्वारा लगभग गैर-ट्रेस करने योग्य हो जाती हैं।
 - वाणिज्यिक आग्नेयास्त्रों के विपरीत, खरीद के लिए पृष्ठभूमि जाँच की आवश्यकता नहीं होती है।
 - 3D-मुद्रित भागों, धातुओं और प्लास्टिक के संयोजन से निर्मित।

3D प्रिंटिंग -

- यह सामग्री को परत दर परत जोड़कर, डिजिटल मॉडल से त्रि-आयामी वस्तुएं निर्मित करने की एक प्रक्रिया है। इसे एडिटिव मैनुफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक एडिटिव प्रक्रिया है, जिसमें प्लास्टिक, कंपोजिट या बायो-मटेरियल जैसी सामग्री की परतों को आकार, आकृति, कठोरता और रंग में भिन्न वस्तुओं का निर्माण करने के लिए बनाया जाता है।

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - घोस्ट गन](#)

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM-VIKAS) योजना

संदर्भ

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 5 मौजूदा योजनाओं को, PM-VIKAS नामक एक नई योजना में परिवर्तित कर दिया है।

PM-VIKAS के संदर्भ में -

- यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) के अंतर्गत, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसका उद्देश्य समावेशी विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों को सशक्त बनाना है।
- पीएम-विकास, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की (5) मौजूदा योजनाओं, अर्थात- सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को मिलाकर एक एकीकृत योजना है।
- **योजना के घटक:**
 - **कौशल तथा प्रशिक्षण:** इसमें पारंपरिक (कला और शिल्प) और गैर-पारंपरिक (NSQF अनुरूप) कौशल प्रशिक्षण शामिल है।
 - **नेतृत्व और उद्यमिता:** विशेषकर महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास तथा उद्यमिता समर्थन पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - **शिक्षा:** स्कूल छोड़ने वालों के लिए ओपन स्कूलिंग (8वीं, 10वीं और 12वीं) के अवसर प्रदान करता है।
 - **अवसंरचनात्मक विकास:** कला, शिल्प, पर्यटन और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए, "विश्वकर्मा गाँव" (हब एंड स्पोक मॉडल) का विकास।

स्रोत:

- [पीआईबी - पीएम विकास ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पांच पूर्ववर्ती कौशल एवं सशक्तिकरण योजनाओं को एकीकृत किया](#)

वेब टेलिस्कोप द्वारा ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार की पुष्टि

संदर्भ

नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के हालिया अवलोकनों ने इस बात के और सबूत दिए हैं कि ब्रह्मांड पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से विस्तार कर रहा है।

महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में

- **विस्तार की दर:** वेब टेलीस्कोप के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड की विस्तार दर वर्तमान खगोल भौतिकी मॉडल के आधार पर अनुमानित दर की तुलना में लगभग **8%** तीव्र है। इस घटना को हबल विस्तार (टेंशन) के नाम से जाना जाता है।
- **हबल के निष्कर्षों का सत्यापन:** निष्कर्ष हबल स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त पहले के मापों की पुष्टि करते हैं, जिससे पता चलता है कि विसंगतियां हबल में उपकरण त्रुटियों के कारण नहीं हैं।
- **डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना:**
 - **डार्क मैटर:** ब्रह्मांड का लगभग **27%** हिस्सा, डार्क मैटर, दृश्यमान पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से अनुमानित पदार्थ का एक अदृश्य रूप है।
 - **डार्क एनर्जी:** माना जाता है कि यह ब्रह्मांड का लगभग **69%** हिस्सा है, डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक परिकल्पित रूप है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को संचालित करता है।

स्रोत:

- [द हिन्दू - वेब ने पुष्टि की है कि ब्रह्मांड अप्रत्याशित गति से फैल रहा है](#)



समाचार संक्षेप में

पंचमसाली समुदाय

- पंचमसाली लिंगायत समुदाय का एक प्रमुख उप-समूह है।
 - लिंगायत (आधिकारिक तौर पर हिंदू उपजाति 'वीरशैव लिंगायत' के रूप में वर्गीकृत) बसवन्ना के अनुयायी हैं, जो 12वीं शताब्दी के दार्शनिक-संत थे, जिन्होंने एक जाति-विरोधी आंदोलन शुरू किया था, जिसमें रूढ़िवादी अनुष्ठानिक हिंदू प्रथाओं को खारिज कर दिया गया था और वे भगवान, विशेष रूप से भगवान शिव के साथ अधिक व्यक्तिगत, भावनात्मक संबंध के पक्ष में थे।
 - कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची की श्रेणी 2A में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में उन्हें श्रेणी 3B के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
 - पंचमसाली लिंगायतों में सबसे बड़ी जाति है, जो कुल लिंगायत आबादी का लगभग 70 प्रतिशत है।
- स्रोत:
- [द हिंदू - पंचमसाली द्रष्टा का कहना है कि पुलिस ने बेलगावी में हिंसा भड़काई](#)



संपादकीय सारांश

विपक्षी सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ

विपक्ष ने हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

हटाने की प्रक्रिया के बारे में - संसद द्वारा

- किसी न्यायाधीश को "साबित कदाचार या अक्षमता" के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
- यद्यपि संविधान में "महाभियोग" शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग आमतौर पर अनुच्छेद 124 (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) और अनुच्छेद 218 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) के तहत निष्कासन प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के अनुसार):

- महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत: (अधिनियम की धारा-3 के तहत)
 - महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है:
 - लोकसभा: कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस की आवश्यकता होती है।
 - राज्यसभा: कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस की आवश्यकता होती है।
 - अध्यक्ष (लोकसभा के लिए) या सभापति (राज्यसभा के लिए) प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले व्यक्तियों से परामर्श कर सकते हैं तथा प्रासंगिक सामग्री की जांच कर सकते हैं।
- जांच समिति का गठन:
 - यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष या सभापति आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (समिति के प्रमुख)
 - उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
 - एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (अध्यक्ष/सभापति की राय में)
 - समिति की शक्तियां:
 - आरोप तय करना
 - सबूत की जांच करना
 - गवाहों को बुलाना
 - कार्यवाही का संचालन करना (कभी-कभी वकीलों की नियुक्ति करना, उदाहरण के लिए, न्यायमूर्ति रामास्वामी के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह)।
- आरोप तय करना: समिति आरोप तय करती है और उसकी एक प्रति न्यायाधीश को देती है, जो लिखित बचाव प्रस्तुत कर सकता है।
- समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना: जांच पूरी करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती है।
 - इसके बाद रिपोर्ट संसद के संबंधित सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
- प्रस्ताव पर विचार: यदि रिपोर्ट में दुर्व्यवहार या अक्षमता का सबूत मिलता है, तो निष्कासन के प्रस्ताव पर सदन में विचार किया जाता है और उस पर बहस की जाती है।

- **प्रस्ताव का स्वीकृत होना:** प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में निम्नलिखित द्वारा पारित किया जाना चाहिए:
 - उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत।
 - उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
 - यदि प्रस्ताव एक सदन में पारित हो जाता है तो उसे अनुमोदन के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है।
- **राष्ट्रपति का आदेश:** जब दोनों सदन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं।

टिप्पणी:

- **निष्कासन प्रस्ताव** को छोड़कर, विधायिका किसी न्यायाधीश के कदाचार पर चर्चा नहीं कर सकती।

इन-हाउस प्रक्रिया

- 1999 में स्थापित और 2014 में सार्वजनिक की गई यह प्रक्रिया गंभीर आरोपों का सामना कर रहे न्यायाधीशों को सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने की अनुमति देती है।
- यह प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत करने की अनुमति देती है।
- **शिकायतों की जांच की प्रक्रिया:**
 - **चरण 1:** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत प्राप्त होती है और वह न्यायाधीश से प्रतिक्रिया मांग सकते हैं।
 - **चरण 2:** यदि आगे जांच की आवश्यकता होती है, तो शिकायत और जवाब मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया जाता है।
 - **चरण 3:** मुख्य न्यायाधीश एक तथ्य-खोज समिति नियुक्त कर सकते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - अन्य उच्च न्यायालयों से दो मुख्य न्यायाधीश।
 - एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
- **जांच का परिणाम:** यदि पर्याप्त आधार पाए जाते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के लिए कह सकते हैं।
 - यदि न्यायाधीश इनकार कर देते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित कर सकते हैं, जिससे महाभियोग की कार्यवाही शुरू हो सकती है।

भारत में महाभियोग के पिछले उदाहरण

- **1993:** न्यायमूर्ति वी रामास्वामी (सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश) को वित्तीय अनियमितता के मामले में महाभियोग की कार्यवाही का सामना करना पड़ा। दोषी पाए जाने के बावजूद प्रस्ताव असफल रहा।
- **2011:** न्यायमूर्ति सौमित्र सेन (कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) पर भ्रष्टाचार के लिए राज्यसभा द्वारा महाभियोग लगाया गया, लेकिन लोकसभा द्वारा मामले पर विचार किये जाने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
- **2015:** न्यायमूर्ति एसके गंगेले (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) को यौन उत्पीड़न के आरोप में महाभियोग का सामना करना पड़ा, लेकिन समिति ने 2017 में उन्हें बरी कर दिया।
- **2015:** न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला (गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) को आरक्षण के बारे में विवादास्पद टिप्पणी के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा, लेकिन न्यायाधीश द्वारा टिप्पणी को हटाने के बाद प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।
- **2017:** न्यायमूर्ति सी.वी. नागार्जुन (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) को वित्तीय कदाचार और एक दलित न्यायाधीश को प्रताड़ित करने के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया।

- अनेक प्रयासों के बावजूद भारत में किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग सफलतापूर्वक नहीं लगाया जा सका है।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2019)

1. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव लोक सभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
2. भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 'अक्षमता और सिद्ध दुर्व्यवहार' को परिभाषित करता है और उसका विवरण देता है।
3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में दिया गया है।
4. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव मतदान के लिए लाया जाता है, तो कानून के अनुसार प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित होना चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित होना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 3 और 4
- (d) 1, 3 और 4

उत्तर: (c)

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव: महाभियोग की प्रक्रिया, पिछले प्रयास](#)

रडार के नीचे से गुजरते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण का जलवायु पर प्रभाव

संदर्भ

उपग्रह प्रक्षेपणों में वृद्धि से जलवायु निगरानी प्रणालियों पर उनके प्रभाव और कक्षीय मलबे के संचय के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

रॉकेट प्रक्षेपण के पर्यावरणीय प्रभाव

- **उत्सर्जन:**
 - प्रत्येक रॉकेट प्रक्षेपण से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन और जलवाष्प की महत्वपूर्ण मात्रा उत्सर्जित होती है।
 - ब्लैक कार्बन विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में सूर्य के प्रकाश को 500 गुना अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में योगदान होता है।
- **ओजोन परत क्षरण:**
 - रॉकेट प्रणोदक, विशेष रूप से क्लोरीन आधारित रसायन, उच्च ऊंचाई पर ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं, जिससे पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण बढ़ जाता है और वायुमंडलीय परिसंचरण बाधित हो जाता है।
- **उपग्रह राख:**
 - जब उपग्रह अपने मिशन के अंत में पुनः प्रवेश करते समय जल जाते हैं, तो वे वायुमंडल की मध्य परतों में धात्विक राख छोड़ते हैं, जो वायुमंडलीय स्थितियों को नुकसान पहुंचा सकती है तथा जलवायु को संभावित रूप से बदल सकती है।
- **ऊर्जा-गहन उपग्रह उत्पादन:**
 - उपग्रहों की विनिर्माण प्रक्रिया ऊर्जा-गहन है, जिसमें धातुओं और मिश्रित सामग्रियों का उपयोग होता है, जिनके निष्कर्षण और तैयारी के कारण कार्बन फुटप्रिंट काफी अधिक होता है।
 - उपग्रहों को कक्षीय समायोजन के लिए प्रणोदन प्रणालियों की भी आवश्यकता होती है, जिससे अतिरिक्त उत्सर्जन होता है।
- **कक्षीय मलबे से संबंधित चिंताएं:**
 - **परिभाषा:** कक्षीय मलबे में निष्क्रिय उपग्रह, खर्च हो चुके रॉकेट चरण तथा पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में विखंडन से बचे हुए टुकड़े शामिल हैं।
 - **आंकड़ें:** सितंबर 2024 तक, 1957 से अब तक लगभग 6,740 रॉकेट लॉन्च हुए हैं, जिनमें 19,590 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है। इनमें से लगभग 13,230 अंतरिक्ष में हैं, जबकि 10,200 अभी भी काम कर रहे हैं।
 - **प्रदूषण:** कक्षा में गैर-कार्यात्मक वस्तुओं की उपस्थिति प्रदूषण का एक रूप है। लगभग 36,860 सूचीबद्ध अंतरिक्ष वस्तुएँ हैं, जिनमें 650 से अधिक विखंडन घटनाओं से उत्पन्न वस्तुएँ शामिल हैं, जिनका कुल भार 13,000 टन से अधिक है।
 - **टकराव का जोखिम:** अंतरिक्ष मलबे का बढ़ता हुआ द्रव्यमान परिचालन उपग्रहों के लिए टकराव का जोखिम बढ़ाता है। 29 किमी/घंटा की गति से यात्रा करने वाले मलबे के छोटे टुकड़े भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं।
- **वैज्ञानिक डेटा संग्रहण पर प्रभाव:**
 - कक्षीय मलबा रेडियो तरंगों को बाधित करके जलवायु और आपदाओं की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण डेटा संग्रह में बाधा डालता है। इस हस्तक्षेप के कारण उपग्रह संचालकों के लिए महंगे परिरक्षण और टकराव से बचने के उपाय करने पड़ते हैं।

- **अंतरिक्ष स्थिरता में बाधाएं:**
 - वर्तमान अंतरिक्ष गतिविधियों में स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय विनियमनों का अभाव है, क्योंकि वे पेरिस समझौते जैसे ढांचे से बाहर हैं।
 - इस अनुपस्थिति के कारण अनियंत्रित उत्सर्जन और मलबे का संचय पृथ्वी की जलवायु और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए खतरा बन रहा है।

अंतरिक्ष अन्वेषण में स्थिरता प्राप्त करना

- **नवीन समाधान:**
 - **पुनः प्रयोज्य रॉकेट:** स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियाँ कचरे और लागत को कम करने के लिए पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित कर रही हैं। हालाँकि, ये हिस्से भारी हो सकते हैं और ईंधन की खपत बढ़ा सकते हैं।
 - **स्वच्छ ईंधन:** तरल हाइड्रोजन या जैव ईंधन जैसे ईंधनों पर स्विच करने से हानिकारक उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, लेकिन गैर-नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर वर्तमान उत्पादन विधियों के कारण चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं।
 - **जैवनिम्नीकरणीय उपग्रह:** जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों से उपग्रहों का डिजाइन करने से दीर्घकालिक मलबे को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन वर्तमान में उनमें चरम अंतरिक्ष स्थितियों के लिए आवश्यक स्थायित्व का अभाव है।
- **स्वायत्त मलबा निष्कासन (ADR):** रोबोटिक भुजाओं और लेजर प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियाँ कक्षीय मलबे की सफाई के लिए आशाजनक हैं, लेकिन इनमें उच्च लागत और कानूनी अनिश्चितताएं हैं।
- **वैश्विक यातायात निगरानी प्रणाली:** वास्तविक समय में उपग्रहों और मलबे की निगरानी करने वाली प्रणाली टकराव के जोखिम को कम कर सकती है, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण डेटा साझा करने के प्रतिरोध से इसमें बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- **वैश्विक सहयोग:**
 - उत्सर्जन को कम करने, अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन करने तथा महत्वपूर्ण डेटा साझा करने के लिए मानक बनाने और लागू करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।
 - बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति (सीओपीयूओएस) जैसे संगठन इन वैश्विक मानकों को आकार देने और लागू करने में पहल कर सकते हैं।
- **हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश:**
 - सरकारों और निजी कंपनियों को नवीन, पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
 - इसमें हरित ईंधन, मलबे को साफ करने की प्रणालियाँ तथा उपग्रह घटकों के लिए जैवनिम्नीकरणीय सामग्री का विकास करना शामिल है।
- **नीतिगत प्रोत्साहन:**
 - सब्सिडी या कर कटौती जैसे वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करके निजी फर्मों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
 - दूसरी ओर, दंड पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को हतोत्साहित करने में मदद कर सकता है।

स्रोत:

- [द हिन्दू - रडार के नीचे से गुजर रहे अंतरिक्ष अन्वेषण का जलवायु पर प्रभाव](#)

स्थिर मजदूरी और धीमी वृद्धि: भारत के आर्थिक असंतुलन का समाधान

संदर्भ

भारत में कॉर्पोरेट मुनाफा मार्च 2024 में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसमें कर के बाद लाभ सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% था। इन मुनाफों के बावजूद, निजी क्षेत्र में वेतन वृद्धि स्थिर हो गई है, जिससे कोविड-19 के बाद मांग में कमी और व्यापक आर्थिक सुधार को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

मुख्य आँकड़े

- **स्थिर वेतन वृद्धि:** पिछले पांच वर्षों (2019-2023) में प्रमुख क्षेत्रों में वेतन बहुत धीमी गति से बढ़ा है:
 - इंजीनियरिंग, विनिर्माण, प्रक्रिया, बुनियादी ढांचा (ईएमपीआई): 0.8% वार्षिक वृद्धि।
 - फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी): 5.4% वार्षिक वृद्धि (क्षेत्रों में सबसे अधिक)।
 - बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई): 2.8% वार्षिक वृद्धि।
 - खुदरा: 3.7% वार्षिक वृद्धि।
 - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी): 4% वार्षिक वृद्धि।
 - लॉजिस्टिक्स: 4.2% वार्षिक वृद्धि।
- **मजदूरी पर मुद्रास्फीति का प्रभाव:**
 - इसी अवधि के दौरान मुद्रास्फीति ने वास्तविक मजदूरी को कम कर दिया
 - मुद्रास्फीति दर 2019-20 में 4.8% थी, जो 2022-23 में 6.7% के चरम पर थी, और थोड़ा कम होकर 2023-24 में 5.4% हो गई।
 - कई श्रमिकों के लिए, वास्तविक आय (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित वेतन) या तो स्थिर हो गई या घट गई, जिससे उनकी क्रय शक्ति कमजोर हो गई।
- **विभिन्न क्षेत्रों में औसत मजदूरी:**
 - एफएमसीजी कर्मचारियों ने 2023 में सबसे कम औसत वेतन ₹19,023/माह अर्जित किया।
 - 2023 में आईटी पेशेवरों का औसत वेतन ₹49,076/माह सबसे अधिक था।

स्थिर मजदूरी के पीछे कारण

- **श्रम अधिशेष:**
 - महामारी के बाद, भारत की आर्थिक वृद्धि पूर्व-कोविड अनुमानों की तुलना में 7% पीछे है।
 - अधिक कार्यबल सीमित अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिससे कर्मचारियों की उच्च वेतन के लिए सौदेबाजी की शक्ति कम हो रही है।
- **वैश्विक रुझान:**
 - सकल घरेलू उत्पाद में मजदूरी का घटता हिस्सा एक विश्वव्यापी घटना है, जो 1990 के दशक से कमजोर संगठित श्रम के कारण हो रही है।
- **कम उत्पादकता:**
 - वैश्विक मानकों की तुलना में भारतीय श्रम उत्पादकता खराब बनी हुई है।
 - उत्पादकता में सुधार के बिना, वेतन वृद्धि व्यवसायों के लिए टिकाऊ नहीं रह जाएगी।
- **कॉर्पोरेट लागत अनुकूलन:**
 - कई कंपनियों ने लाभ मार्जिन बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की लागत कम कर दी है।
 - प्रबंधकीय पारिश्रमिक प्रायः उच्च रहता है, लेकिन गैर-प्रबंधकीय भूमिकाओं के लिए वेतन में गिरावट अधिक होती है।

आगे की राह

- **उत्पादकता वृद्धि:**

- कौशल विकास और प्रौद्योगिकी में निवेश से श्रम उत्पादकता में सुधार हो सकता है, जिससे स्थायी वेतन वृद्धि संभव हो सकती है।
- **कार्यबल का औपचारिकीकरण:**
 - औपचारिक रोजगार के अवसरों का विस्तार करने से आय के अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है, विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में।
- **लाभ और मजदूरी में संतुलन:**
 - मांग को मजबूत बनाये रखने के लिए व्यवसायों को अपने मुनाफे को श्रमिकों के साथ अधिक समान रूप से साझा करना होगा।
- **क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप:**
 - अधिक गुणवत्तापूर्ण नौकरियाँ सृजित करने के लिए वस्त्र, पर्यटन और विनिर्माण जैसे उद्योगों में रोजगार को बढ़ावा देना।

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - निजी क्षेत्र का मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्तर पर, लेकिन वेतन स्थिर](#)

